निशानी 2052-PBR-15

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

गिरधारीलाल अग्रवाल पिता वल्लभदास अग्रवाल, जाति अग्रवाल
निवासी धार (म.प्र.)

विरूद्ध .....रिवीजनकर्ता

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व धार .....रिस्पोडेंट

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

अनुविभागीय अधिकारी धार द्वारा रा.प्र.क्र. 13/बी–121/2014–15 में जारी कारण बताओं सूचना पत्र दि. 08.06.2015 से व्यथित होकर यह रिवीजन निम्नांकित आधारों पर समयावधि में राादर प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

रिवीजनकर्ता के पिता वल्लभदास पिता पन्नालाल के स्वामित्व की भूमि ग्राम इस्लामपुरा तहसील धार जिला धार में होकर भूमि का खसरा नंबर 54 रकवा 1.998 हैक्टर को रिस्पोडेंट अनुविभागीय अधिकारी धार के राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/अ–2/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 28.02.1995 द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि के भूखण्डो का विक्रय कर दिया गया। चूँकि वर्ष 1994–95 में म.प्र. विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू था, परन्तु रिवीजनकर्ता के पिता की उपरोक्त वर्णित संपत्ति पर प्रभावशील नहीं हुआ था क्योकि रिवीजनकर्ता के पिता की उपरोक्त भूमि द्वितीय श्रेणी की नगरपालिका के अन्दर स्थित थी। ग. प्र. विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम के कालोनी संबधी उपबन्ध धारा 24 लगायत 30 धार शहर में लागू न होने से रिवीजनकर्ता के पिता ने न तो कालोनी लायसेंस लिया और न ही विकास अनुमति प्राप्त की।

रिस्पाडेंट द्वारा रा.प्र.क्र.13/बी–121/2014–15 में जारी सूचना पत्र में म.प्र. नगरपालिका (कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 1998 में दिये गये उपबंधो के उल्लंघन का आरोप लगाया गया हैं। चूँकि अनावेदकगण के पिता ने वर्ष 1994–95 में विधिवत डायवर्शन करवाया था एवम् वर्ष 1994–95 में वर्ष 1998 में निर्मित नियम लागू होने का प्रश्न नहीं था इसलिए अनावेदक के पिता ने 1998 के नियमो के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की औपचारिकता पूर्ण करना आवश्यक न होने से पूर्ण नहीं की थी।

म.प्र. विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1982 के कालोनी संबधी उपबंध धार शहर में लागू न होने से तथा म.प्र. नगरपालिका (कालोनी रजिस्ट्रेशन, निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 1998 को भूतलक्षी प्रभाव न दिये जाने से अनावेदक के पिता पर इन दोनों अधिनियम के कोई प्रावधान लागू नहीं थे और इसीलिए इन अधिनियमो के तहत अनावेदक के पिता ने कोई कार्यवाही नहीं की।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2052/पीबीआर/15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अत: संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	